

गढ़ नंदिनी

बदरी-केदार विकास समिति, देहरादून की वार्षिक स्मारिका

अंक - 2

वर्ष - 2010-11



उत्तराखण्ड में विकराल होती दीमक की समस्या

डॉ. बी. एस. रावत

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की

वैसे तो दीमक पृथकी के 70% भाग पर यायी जाती है, लेकिन लगता है हिन्दुस्तान के पहाड़ी प्रदेश उत्तराखण्ड में दीमक का प्रकाष कुछ ज्यादा ही है। ऊर्जा निगम ऋषिकेश खण्ड के नाम कार्यालय में वर्ष 2004 से 2007 तक उपभोक्ताओं द्वारा लिए गये विद्युत संयोजन तथा भुगतान सबधी महत्वपूर्ण रिकार्ड दीमक द्वारा नष्ट कर दिये गये। समुद्रतल से 1300 मीटर की ऊँचाई पर अल्मोड़ा जिले के स्थालद्वे ब्लॉक अन्तर्गत लंबाड़ी गाँव में दीमक ने न केवल भवनों को खण्डहर में तब्दील कर दिया, बल्कि कई परिवारों ने गाँव से पलायन करने में ही अपनी भलाइ समझी, क्योंकि दीमक भौज्य परायाएँ के साथ-साथ खाद्यान्नों को भी नष्ट करने लगी थी। प्रशासन द्वारा कोई समुचित एवं कारगर उपाय नहीं किये गये। उपलब्ध कीटनाशक दवायें भी बेअसर सावित हुईं। क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों द्वारा लंबाड़ी गाँव को प्राकृतिक आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग भी उठाई गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। भिकियासैण के कृषि रक्षा अधिकारी के अनुसार गाँव की “दीमक नियंत्रण परियोजना” कृषि नियंत्रण लम्बित है। खेद का विषय है, कि ग्रामीणों को 75% अनुदान पर ब्लॉरपॉर्टफॉर्स नामक दवा उपलब्ध करायी गयी है, जोकि अपनी विधाकता तथा पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव के चलते कई वर्ष पूर्व ही विदेशों में प्रतिबन्धित हो चुकी है। दुधांशु का विषय है कि हम ऐसी विधाली दवा को हिन्दुस्तान में प्रयोग करने पर मजबूर हैं। इसका छिकाव भी अत्यंत हानिकारक होता है।

कमोबेश भिकियासैण के लम्बाड़ी गाँव जैसा ही हाल पुराना विकासखण्ड के ढिकाल गाँव का है। शनिवार 24 जुलाई 2010 को गाँव का एक मकान, जो दीमकों द्वारा जर-जर हालत में था, भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि जान-माल की कोई क्षति नहीं हुई। दीमकों से त्रस्त लोग खुले आसमान के नीचे तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। पहले इस गाँव में अनुसूचित जाति के सौ से अधिक परिवार रहते थे, जिसमें से अधिकतर पलायन कर चुके हैं। गाँव में अब केवल 32 परिवार ही रह गये हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, रुड़की के अस्पताल के चेयरमैन के अनुसार,

अस्पताल में दवाओं के स्टॉक रूम को ही सील करना पड़ा।

भवनों में दीमक लगने से इमारती लकड़ी पर खतरा बढ़ रहा है। वर्ष 1902 में स्थापित तथा श्रीनगर गढ़वाल स्थित राजकीय इंटर कॉलेज का छात्रावास दीमकों के कारण जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुँच गया है। छात्रावास भवन की लकड़ी के तख्तों व बलिलयों को दीमक ने बुरी तरह चट कर दिया है। अधिकांश लकड़ी, दीमक तथा बरसाती पानी के कारण सड़-गल चुकी है। छात्रावास की छत को गिरने से बचाने हेतु कमरों के अंदर लकड़ी के खम्बे खड़े किये हैं। यह जुगाड़ व्यवस्था किसी बड़े जोखिम को खुला निमंत्रण दे रही है। हरिद्वार नगरपालिका द्वारा जनवरी 2008 में डेढ़ लाख रुपये खर्च कर 184 कंबल गरीबों को सर्दियों से बचाने हेतु खरीदे गये थे, जिनका समय से वितरण न हो सका और दीमक लग गयी।

उत्तराखण्ड से सटे पर्वतीय प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भी दीमक का प्रकोप इस कदर है, कि औद्योगिक क्षेत्र बदामी, बरोटीवाला, परवाण व सोलन में हिमुड़ा द्वारा निर्मित आलीशान फ्लैट्स में खिड़की, दरवाजां, चौखटों को दीमक ने धाराशायी कर दिया है। जिसके चलते हिमुड़ा को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। वर्ष 2003 से पूर्व भी इन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों में हिमुड़ा तथा निजी मकान मालिकों के आशियानों में दीमक का भयंकर प्रकोप देखा गया था। इडियन कौसिल ऑफ फारेस्टी रिसर्च एंड एजुकेशन के प्रो. एस. के. अवस्थी के अनुसार उत्तराखण्ड में दीमक से फायदा बेहद कम तथा नुकसान बेहद ज्यादा है। फायदा बस यहीं कि यह एक बायो-कम्पोनेन्ट है, और इकॉलॉजी का हिस्सा है। नुकसान की जात करे, तो इससे लार्ज स्केल डिस्ट्रूक्शन हुआ है। जिसमें नसरी डिस्ट्रूक्शन, सीड स्टोरेज में प्रैब्लम, डिपोज में लकड़ी खराब हो जाने जैसी समस्यायें प्रमुख हैं। दीमक, बानिकी के लिए भी नुकसानदेह है। देहरादून स्थित फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफ.आर.आई.) की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड में दीमक की 52 प्रजातियाँ, तथा सम्पूर्ण उत्तर भारत में 73 प्रजातियाँ पायी जाती हैं।

कृषि तथा बागबानी के लिए भी दीमक एक बड़ा

गढ़ नंदिनी

खतरा बनकर उभर रही है। जिला हरिद्वार के झबरेड़ा कस्बे में किसानों की सेकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल पर दीमक का प्रकोप बढ़ रहा है। गन्ने की जड़ पर दीमक लग जाती है, तथा पूरा पौधा सूख जाता है। रुड़की नामपालिका क्षेत्र में सैकड़ों वृक्ष दीमक के प्रकोप से सूख रहे हैं। विभिन्न समरोह तथा मौकों पर पौधे रोपने का फैशन चल पड़ा है, लेकिन पौधों को रोपने के बाद उनकी सुरक्षा राम भरोसे छोड़ दी जाती है। वन क्षेत्राधिकारी के अनुसार, वृक्ष की देखभाल करना संबंधित विभाग व संस्था का दायित्व होता है। हरिद्वार जनपद के ही इक्कालापुर क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल तेजी से सिकुड़ रहा है। मौजूदा समय में करीब एक लाख 28 हजार हैक्टेयर भूमि पर ही कृषि हो रही है। जिसमें गन्ने तथा गेहूँ की खड़ी फसल पर दीमक का प्रकोप बढ़ रहा है तथा आम के बाग भी दीमक की चपेट में हैं।

दीमक को विश्वभर में एक विनाशक कीट के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख भोजन मुख्यतया सेलूलोज व सेलूलोज से बने उत्पाद ही होते हैं, लेकिन यह फोम, कपड़ा, प्यास्टिक, थर्मोकोल, चमड़ा, तथा मुलायम धातुओं को भी क्षति पहुँचा सकती है। भवन निर्माण में लकड़ी की अहम भूमिका होती है। सीमित वन सम्पदा के चलाते लकड़ी अब लाठे से भी महँगी तथा आम उपभोक्ता की पहुँच से बाहर हो चली है। ऐसे में लकड़ी के नित् नये-नये विकल्प बाजार में आ रहे हैं, जिनमें से अधिकतर दीमक की पहुँच में हैं। विश्वभर में दीमक की 2,761 प्रजातियों में से 350 के करीब भारत में पायी जाती है, तथा 110 प्रजातियाँ ईमारती लकड़ी को भयंकर क्षति पहुँचाने के लिए जानी जाती है। भवनों के अतिरिक्त, पानी के जहाजों, रेगिस्तानों, ऊँचे पहाड़ी स्थानों, यहाँ तक कि लकड़ी के विद्युत खम्बों तथा पेड़ों पर भी दीमक की बाँबियाँ पायी जाती हैं। विश्व के अत्याधिक बर्फाले इलाकों के वातानुकूलित भवनों में भी दीमक का प्रकोप समानरूप से देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ दीमक की प्रजातियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। कुछ प्रजातियाँ मैदानी इलाकों में तथा कुछ पर्वतीय इलाकों में तेजी से गुणात्मक वृद्धि कर भवनों तथा कृषि व बागवानी को भयंकर नुकसान पहुँचाती हैं।

तालिका-1

पहाड़ों पर पायी जाने वाली दीमक की प्रजातियाँ	समुद्र से ऊँचाई
1. नसूटीटर्मिस	0900 मीटर
2. माइक्रोसिरोटर्मिस	0900 मीटर

3. स्टोलोटर्मिस	1500 मीटर
4. एनोपोलोटर्मिस	1500 मीटर
5. रजीटर्मिस	1650 मीटर
6. कैपरीटर्मिस	1800 मीटर
7. एनाकैथोटर्मिस	2000 मीटर
8. हाडोटर्मिस	2100 मीटर
9. रेटीकुलीटर्मिस	2250 मीटर
10. क्यूबीटर्मिस	2400 मीटर
11. हैरोटर्मिस	2500 मीटर
12. आर्कोटर्मोपसिस	2700 मीटर

उपाय :

पर्वतीय भवनों में दीमक नियंत्रण का कार्य, मैदानी क्षेत्रों में बने या बन रहे भवनों के मुकाबले अपेक्षाकृत कठिन तो होता है, लेकिन असंभव नहीं। इस कार्य में, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क मार्गों का न होना, चट्टानों अथवा पत्थरों पर तथा वीराने जंगलों के बीच बने भवन आदि अनेक पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भवनों में दीमक नियंत्रण हुत भारतीय मानक, रीति संहिता प्र०: 6313(2001) में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें वर्णित दवाओं के स्थान पर अब नयी-नयी कीटनाशक दवाएं बाजार में आ चुकी हैं, अतः इस मानक के नये संस्करण पर कार्य हो रहा है। बाजार में एक दवा के कई-कई वेरिएंट मौजूद हैं। अतः लोकल कम्पनियों की दवाओं के स्थान पर अच्छी एवं ब्रॉडेंड कम्पनियों की दवाओं को ही प्रयोग करना चाहिए। प्रभावकारी दीमक नाशक दवाओं में प्रमुख हैं-

तालिका-2

कीटनाशक मात्रा प्रतिशत में	डॉयल्यूशन
दवा का नाम	
बॉयफैशन 2.5 ई.सी.0.05 %	1:49 (दवा:पानी)
फिप्रोनिल 2.5 ई.सी. 0.25 %	1:49 (दवा:पानी)
ईमिडाक्लोनिड 17.5 ई.सी. 0.10 %	1:499 (दवा:पानी)
साईपरमैथ्रिन 2.5 ई.सी. 0.25 %	1:100 (दवा:पानी)
लैम्डासाइलाथ्रिन 2.5 ई.सी. 0.25 %	1:10 (दवा:पानी)
इथियॉन 50 ई.सी. 1. %	1:50 (दवा:पानी)

प्रायः भवन निर्माण के समय गीली लकड़ी के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी लकड़ी में दीमक के प्रकोप शीघ्रता से होता है। प्रयोग से पूर्व, यदि लकड़ी को अच्छी प्रकार सुखा लिया जाये तथा उपरोक्त कीटनाशकों के पेट्रोलियम पदार्थों -जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, तारपीन इत्यादि में बनाये गये घोल को ब्रश द्वारा 3-4 कोटिंग अथवा डिपिंग कर ली जायें,

गढ़ नंदिनी

तो लकड़ी को दीमक से बचाया जा सकता है, तथा लकड़ी की आयु कई गुण बढ़ाई जा सकती है। घर के अन्दर विषेश कीटनाशकों के छिड़काव से बचना चाहिए। इसमें मनुष्यों तथा पालतु दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पेंट अथवा चूने की पुताई आदि में भी कीटनाशकों को नहीं मिलाना चाहिए। जिन स्थानों पर नींव खोदकर भवन निर्माण किया जाता है। इसमें बताया गया है, कि तीन चरणों में यह कार्य किया जाना चाहिए: (क) नींव की खुवाई के तुरंत बाद, (ख) लिंथ लेवल पर तथा (ग) दीवारों पर प्लास्टर तथा फर्श से पहले। गोरे-मिट्टी अथवा चूने से बनी मोटी मोटी दीवालों वाले भवनों में दीमक नियंत्रण का कार्य इस विधि द्वारा अच्छे परिणाम नहीं देता है, उनके लिए अन्य उपाय मौजूद हैं- जैसे दीमक बेटिंग सिस्टम, आइटम सिक्योर टेक्नॉलॉजी आदि। भवन निर्माण से पूर्व प्लाट अथवा भूमि से सभी प्रकार की व्यर्थ वस्तुयें यथा- पेपर, कपड़ा, लकड़ी के टुकड़े पेड़ों की जड़ें, झाड़ियाँ इत्यादि भली प्रकार से साफ कर देनी चाहिए, क्योंकि भवन निर्माण के पश्चात दीमक इन्हीं वस्तुओं से फैलना शुरू करती है। यदि भूमि पर दीमक की बौबियाँ हों तो, उनकी ऊँचाई के अनुसार, कीटनाशक दवा के घोल की मात्रा डालकर नष्ट किया जाना चाहिए। एक मीटर ऊँची दीमक की बौबी के लिए 5 लीटर, 1.25 मीटर ऊँची बाबी के लिए 25 लीटर 1.50 ऊँची बाबी के लिए 45 लीटर, 1.75 मीटर ऊँची बौबी के लिए 80 लीटर तथा 2 मीटर ऊँची बाबी के लिए 120 लीटर कीटनाशक दवा के घोल की मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

चूकि दीमक नियंत्रण के कार्य में विषेश कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तथा उनका प्रयोग करने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। अतः उपभोक्ता को इनके सीधे प्रयोग से बचना चाहिए। जिसके लिए शेत्र के किसी अनुभवी तथा लाइसेंस्हुरा “पैस्ट मैनेजमेंट व्यवसायी” की सेवायें लेना उचित रहता है।

संदर्भ

- क्रषिकेश (2010): दीमक चाट गया चार साल का रिकार्ड। अमर उजाला, सितम्बर 7, 2010.
- चंदन बंगारी (2010) दीमक के दंश से लंबाड़ी के बाशिंदे बेहाल। हिन्दुस्तान 12 सितम्बर 2010.
- भिकियासैण भुखमरी के कगार पर्गाँव, सब्जी रोटी खा रही दीमक। 1984 से खोखला कर रही है, गाँव को दीमक। अमर उजाला गर्नीखेत 5 जून 2010.
- भिकियासैण (2004) दीमक के डर से तेरह परिवर्गों ने गाँव छोड़ा। दैनिक जागरण, 8 मई 2004 पृष्ठ सं. 8 हरिद्वार संस्करण.
- अनिल असवाल (2010) ढिकाल गाँव को चट कर ही मानेगी दीमक। एक और घर भर-भरा कर गिरा, डर के मारे ग्रामीण घर छोड़ कर जाने को मजबूर। पुरौल। हिन्दुस्तान, 26 जुलाई 2010, पेज -11
- रुद्रकी (2010) दवाओं में दीमक, स्टोर, सील। अमर उजाला, रविवार 18 जुलाई 2010.
- भिकियासैण (2009) दीमक ने छुड़ाया गाँव 26 साल से है, दीमक का प्रकापा। राष्ट्रीय सहारा। सोमवार 05 जनवरी 2009 पेज सं. 14.
- आलोक शुक्ल (2005) अधिकारियों की राय में मुख्यमंत्री निवास महफूज नहीं। अमर उजाला, 19 फरवरी 2005.
- झाबरेड़ा (2009) दीमक लगने से ईमरती लकड़ी पर बढ़ा। अमर उजाला, सोमवार, 6 अप्रैल 2009.
10. हरिद्वार (2009) डेढ़ लाख के कंबल दीमकों के हवालों हिन्दुस्तान, हरिद्वार 27 अगस्त 2009.
- प्रवेश कुमारी (2009) उत्तराखण्ड को चाट रहे तरह-तरह के दीमक। अमर उजाला, देहरादून, मंगलपरी 29 दिसम्बर 2009.
12. मनजीत नेरी (2009) सोलन में हिमुडा से घर लेना हो सकता है रिस्की। आपका फैसला, स्टेंट स्कैन, शिमला, रविवार 30 अगस्त 2009 पृष्ठ 4
13. एस० एस० सैरी (2008) दीमक के निशाने पर भारता राष्ट्रीय सहारा, देहरादून, 20 नवम्बर 2008 पृष्ठ-1
14. झाबरेड़ा (2010) गने की फसल पर मंडराया दीमक का खतरा अमर उजाला, रविवार 22 अगस्त 2010.
15. हरिद्वार (2008) वृक्षारोपण छपास शात करने का नया ड्रैंड कैन बचायेगा वृक्षों को दीमक से। दैनिक जागरण, 9 जून 2008.
16. इकबालपुर (2009) 20 हजार हैंटरेयर कफल पर दीमक। गना और गेहूँ ज्यादा प्रभावित, आम के बीचे भी चपेट में। अमर उजाला, शुक्रवार 3 अप्रैल 2009.
17. झाबरेड़ा (2006) क्षेत्र में गने की फसल में दीमक का प्रकोप। घेड़ी में नये अंकुर भी नहीं फूट रहे। अमर उजाला मंगलवार 25 अप्रैल 2006, पेज-7।
18. रुद्रकी (2007) वृक्षों पर लगी दीमक से पर्यावरण को क्षति। बन व उद्यान विभाग के रवैये से प्रकृति मित्र खफा। दैनिक जागरण, 31 अक्टूबर 2007.
19. झाबरेड़ा (2004) दीमक के प्रकोप से किसान चिंतित हुए। अमर उजाला बुधवार 8 दिसम्बर 2004.